

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 10(193)नविवि/3/2009पार्ट-II

जयपुर, दिनांक :- 27 MAY 2015

सचिव,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

मुख्य नगर नियोजक,
राजस्थान,
जयपुर।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
समस्त।

निदेशक,
स्थानीय निकाय विभाग,
जयपुर।

विषय :- गैस गोदाम, स्टोन क्रेशर उद्योग व ईट भट्टा की स्थापना हेतु
मानदण्ड।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेश दिनांक 21.09.2011, 30.10.2012 एवं 11.02.2015 के द्वारा गैस गोदाम की लोकेशन के संबंध में निर्देश दिये गये है कि समस्त नगरीय क्षेत्रों के मास्टर प्लान में अंकित परिधि नियंत्रण पट्टी में गैस गोदाम अनुज्ञेय होंगे तथा गैस गोदाम के लिए पर्याप्त पहुंच मार्ग, पॉवर ट्रान्समिशन लाईन/टेलीफोन लाईन से दूर होने का उल्लेख किया गया है।

गैस गोदाम, स्टोन क्रेशर उद्योग व ईट भट्टा की स्थापना हेतु तकनीकी मानदण्ड निर्धारित किये गये है जो पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है। अतः आपके विभाग में प्राप्त प्रकरणों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(सी. एस. मूथा)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

स्टोन क्रेशर उद्योग एवं ईट भट्टा व गैस गोदाम की स्थापना हेतु मानदण्ड

क्र.सं.	विवरण	स्टोन क्रेशर उद्योग	ईट भट्टा	गैस गोदाम			
				क्र. सं.	गैस भण्डारण क्षमता	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व. मी.)	सैटबैक (चारो ओर)
1.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	1.0 है0 (न्यूनतम 0.5 है0 भूमि प्लान्ट व मशीनरी हेतु प्रस्तावित करना अनिवार्य) @ 600 टन प्रतिदिन अथवा अधिक 0.5 है0 (न्यूनतम 0.25 है0 भूमि प्लान्ट व मशीनरी हेतु प्रस्तावित करना अनिवार्य) @ 600 टन प्रतिदिन से कम।	ईट भट्टा की स्थापना हेतु नियामक /नियन्त्रण संस्था के मापदण्डानुसार	1.	2000 तक	1000	3 मीटर
				2.	2000 से अधिक 3000 तक	1000	4 मीटर
				3.	3000 से अधिक 4000 तक	1000	5 मीटर
				4.	4000 से अधिक 6000 तक	1000	6 मीटर
				5.	6000 से अधिक 8000 तक	1000	7 मीटर
				6.	8000 से अधिक 10000 तक	1000	8 मीटर
				7.	10000 से अधिक 12000 तक	1200	9 मीटर
				8.	12000 से अधिक 15000 तक	1500	12 मीटर
				9.	15000 से अधिक 20000 तक	2000	15 मीटर

Sh

